विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 31

विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		402.00	2636.99	3038.99	456.00	2569.99	3025.99	455.00	2809.06	3264.06
पूंजी		*248.00*	*123.01*	*371.01*	*304.00*	*80.01*	*384.01*	*280.00*	*96.63*	*376.63*
जोड़		**650.00**	**2760.00**	**3410.00**	**760.00**	**2650.00**	**3410.00**	**735.00**	**2905.69**	**3640.69**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	129.40	129.40	...	127.63	127.63	...	130.18	130.18
2. *विदेश कार्य*										
2.1 राजदूतावास और मिशन	2061	...	811.43	811.43	...	773.31	773.31	...	855.00	855.00
2.2 पासपोर्ट और उत्प्रवास	2061	...	103.87	103.87	...	95.75	95.75	...	121.86	121.86
2.3 प्रशिक्षण	2061	...	2.15	2.15	...	2.15	2.15	...	2.19	2.19
2.4 विशेष राजनयिक व्यय	2061	...	824.52	824.52	...	824.52	824.52	...	841.01	841.01
2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें										
2.6 मनोरंजन प्रभार	2061	...	1.17	1.17	...	0.85	0.85	...	0.86	0.86
2.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	...	26.00	26.00	...	24.00	24.00	...	26.50	26.50
2.8 अन्य व्यय	2061	...	39.12	39.12	...	40.18	40.18	...	42.11	42.11
(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	2061	...	54.50	54.50	...	54.50	54.50	...	55.59	55.59
(ख) युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों का विस्थापन	2061	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
(ग) भारत-फ्रांस मंच	2061	...	0.45	0.45	...	0.35	0.35	...	0.46	0.46
(घ) अन्य विविध मदें	2061	...	29.28	29.28	...	29.76	29.76	...	29.88	29.88
जोड़-अन्य व्यय		**...**	**84.25**	**84.25**	**...**	**84.63**	**84.63**	**...**	**85.95**	**85.95**
जोड़-विदेश कार्य		**...**	**1892.51**	**1892.51**	**...**	**1845.39**	**1845.39**	**...**	**1975.48**	**1975.48**
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070	...	35.00	35.00	...	24.00	24.00	...	...	...
4. विविध सामान्य सेवाएं										
- मुद्रा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम										
(i) बंगलादेश	3605	...	20.00	20.00	...	2.00	2.00	...	3.30	3.30
	7605	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	1.62	1.62
	कुल	*...*	*40.00*	*40.00*	*...*	*22.00*	*22.00*	*...*	*4.92*	*4.92*
(ii) भूटान	3605	402.00	242.00	644.00	456.00	240.00	696.00	455.00	244.80	699.80
	7605	248.00	...	248.00	304.00	...	304.00	280.00	...	280.00
	कुल	*650.00*	*242.00*	*892.00*	*760.00*	*240.00*	*1000.00*	*735.00*	*244.80*	*979.80*
(iii) नेपाल	3605	...	92.16	92.16	...	60.00	60.00	...	59.20	59.20
	7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	कुल	*...*	*92.17*	*92.17*	*...*	*60.01*	*60.01*	*...*	*59.21*	*59.21*
(iv) श्रीलंका	3605	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00	...	15.30	15.30
(v) मालदीव	3605	...	8.00	8.00	...	3.00	3.00	...	8.00	8.00
(vi) म्यांमार	3605	...	9.00	9.00	...	4.00	4.00	...	10.00	10.00
(vii) अन्य विकासशील देश	3605	...	170.91	170.91	...	172.05	172.05	...	249.25	249.25
(viii) अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	9.00	9.00	...	71.62	71.62	...	104.54	104.54
(ix) मध्य एशिया	3605	...	9.00	9.00	...	5.29	5.29	...	9.00	9.00
	कुल	*650.00*	*600.08*	*1250.08*	*760.00*	*592.97*	*1352.97*	*735.00*	*705.02*	*1440.02*
6. लोक निर्माण कार्य	4059	...	68.00	68.00	...	50.00	50.00	...	70.00	70.00
7. आवास	4216	...	35.00	35.00	...	10.00	10.00	...	25.00	25.00
कुल जोड़		***650.00***	***2760.00***	***3410.00***	***760.00***	***2650.00***	***3410.00***	***735.00***	***2905.69***	***3640.69***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना	13605	650.00	...	650.00	760.00	...	760.00	735.00	...	735.00

1. **सचिवालय** - इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय तथा विदेशों में प्रचार कार्य पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश मामलेः**

2.1 **राजदूतावास तथा मिशनः** इसमें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 162 मिशनों/केन्द्रों के व्यय के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान बीरगंज, नेपाल में खोले जाने वाले प्रत्याशित नए मिशन के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.2 **पासपोर्ट तथा उत्प्रवासः** यह प्रावधान मुख्य रूप से पासपोर्ट कार्यालयों विदेशों में भारतीय मिशनों (कौंसुलर अनुभागों) तथा सी.पी.वी प्रभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है।

2.3 **प्रशिक्षणः** इस शीर्ष के अंतर्गत भारतीय एवं विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने तथा विदेश सेवा संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम तथा पुस्तकों का क्रय इत्यादि जैसे कार्यकलाप करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.4 **विशेष राजनयिक व्यय** - इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.5 **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें** - यह प्रावधान भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय के लिए है।

2.6 **मनोरंजन प्रभार** - यह प्रावधान मुख्यतः आने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों से संबंधित सेवाओं की लागत, भारतीय वायु सेना के एयरलिफ्ट प्रभारों तथा हैदराबाद हाऊस के उन्नयन तथा मरम्मत अनुरक्षण कार्य के लिए है।

2.7 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके अभिकरणों, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल फाउंडेशन, सार्क सचिवालय, स्कैप कार्यक्रम तथा एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद को किए जाने वाले अनिवार्य अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है।

2.8 **अन्य व्ययः** इसमें सीमाओं के सीमांकन, उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरों, हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डलों, संयुक्त राष्ट्र को जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों, विदेश मंत्रालय के होस्टलों, विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान, विदेशों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों,प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर) के विस्तार क्रियाकलापों यथा विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्र/पीठों की स्थापना तथा विदेशी विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की वर्धित लागत की पूर्ति के लिए प्रावधान शामिल है । भारतीय विश्व मामला परिषद के अनुदान एवं अंतर्राष्ट्रीय शांतिरक्षण प्रशिक्षण पर व्यय भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4. **मुद्रा हानि** : इस शीर्ष के अंतर्गत एक करेंसी से दूसरी करेंसी में रूपांतरण करने आदि के कारण विदेश स्थित हमारे मिशनों/चौकियों द्वारा उपगत निवल हानि के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि आवश्यकता का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

5. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोगः** यह प्रावधान भारत के बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय मदद एवं सहायता कार्यक्रमों के लिए किया गया है। आवंटन मित्र देशों, जिनमें न केवल हमारे निकट पड़ोसी शामिल हैं बल्कि अफ्रीका, केन्द्रीय एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया को भी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने में भारत की सतत् रुचि को दर्शाते हैं। प्लान बजट भूटान को सहायता के अंतर्गत आता है तथा भूटान में शुरु की गई मेगा परियोजनाओं के व्यय की पूर्ति करता है। यह प्रावधान पेलेस्टीन, अफगानिस्तान तथा इराक जैसे अन्य देशों को मानवीय सहायता एवं मदद की पूर्ति भी करता है।

यह प्रावधान मुख्यतः बंगला देश एवं भूटान की सरकार को उन देशों में विभिन्न योजनाओं के लिए ऋणों एवं अग्रिमों के लिए किया गया है।

6 एवं 7. **लोक निर्माण एवं आवासन** : यह प्रावधान मुख्य रूप से विदेशों में रिहायशों एवं कार्यालयों के अधिग्रहण/निर्माण तथा रख-रखाव के लिए है।